

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एक 4 (415) आकाशि/अनु/03/10/10

दिनांक-2/8/10

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2010-11 हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में सशर्त अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	पत्र सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध महाविद्यालय	विषय/ संकाय
1	415	राजा प्रताप कन्दा महाविद्यालय, भीष्मपुर-उदयपुर	एमएलएल विश्वविद्यालय, उदयपुर	पूर्व आरंभित विषय संकाय

- राज्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त जहाँसे तथा जिन महाविद्यालय को प्रकरण में दी.सी.आई. से सम्बन्धित व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करनी।
- राज्या को स्टाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक पूर्ण कर जगह सभ के द्वारा निर्दिष्ट अर्थात् में अर्थात् में के दिनांक की जातिदान प्रस्तुत करनी होगा जगहसे आवश्यकता के अन्वये में सशर्त से विच्छेद एकत्रित कार्यवाही की जायेगी।
- स्टाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड -
 - युजीसी योग्यताकारी स्टाई स्टाफ पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन
 - मापदण्डानुसार संकाय के नाम भूमि व पत्र
 - स्टाफ का बैंक द्वारा वेतन का भुगतान
 - भगत स्टाफ की पी.एफ. कटौती
 - समुचित छात्र सुविधाओं का विकास
- राज्य सरकार राज्या को वसुधा व सविधा व दान हेतु जहाँ विलीय सहकारिता नहीं देनी।
- राज्या राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए सभी आदेशों/निर्देशों को पालना करनी।
- राज्या द्वारा राज्या को अर्थात् अर्थात् को अर्थात् अर्थात् को अर्थात् अर्थात् से राज्या उपलब्ध करानी होगी।
- राज्या प्रचार्य एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्रस्तुत करनी।
- राज्या आयुक्तानिध से शाखाओं सुविधा प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्दिष्ट एमएलएल में जमा करानी।
- मापदण्डों को अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in को अवलोकित करे।

Nain Datta

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राज, जयपुर

निर्दिष्ट निम्नलिखित को सुगम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रित है -

1. निजी सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, उदयपुर।
5. निदेशाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सहायक आयुक्त, एमएलएल विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. सचिव, सम्बन्धित विश्व/महाविद्यालय।
8. सहायकी शाखा, आयुक्तानिध, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान।

सयुक्त-निदेश (अनुदान)